No
Reason to
say No!

आवेदन प्राप्ति एवं तत्काल शुल्क के भुगतान के वाद आवेदक आवेदन में इंगित दस्तावेजात / प्रतिलिपियाँ 24 घंटे में पाने का अधिकारी होता है।

पत्रांक- राव /भा.सा.अधि./ **017** /2025

दिनांक :- 07 जनवरी, 2025

श्रीमान अभिलेख संरक्षक व जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)
ईमेल: - dm.kotputli.behror@rajasthan.gov.in , ktpadm@yahoo.in
मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर – 9413318811

विषय :: - आवेदन तहत धारा 75भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वास्ते लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने के विषय में।

महोदय,

श्रीमान के कार्यालय में लोक सेवक के पदीय हैसियत से किए गए कार्यों के दौरान उत्पन्न होकर संधारित हुए लोक दस्तावेजात (परिभाषित तहत धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) जो श्रीमान के अभिरक्षा (CUSTODI) के अभिलेखों से लोक दस्तावेज जात की प्रतिया मुझ आवेदक को **प्रमाणित प्रतिलिपि** में उपलब्ध कराएं जो निम्न है ::-

1.

क. श्रीमान उप निबंधक (जांच) राजस्व मंडल राज० अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक सम/ 2024 / **413638 दिनांक 10 दिसंबर 2024** आदेश के क्रम संख्या 02 की पालना में कार्यालय जिला कलेक्टर कोटपूतली जिला कोटपुतली बहरोड़ द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट मय संपूर्ण पत्रावली सहित की साफ साफ प्रमाणित प्रतिलिपि।

ख. प्रार्थी / आवेदक के परिवाद पत्रांक - राव/ **परिवाद** / **335** / 2024 दिनांक : 02 दिसम्बर, 2024 जो अति० जिला कलेक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली को (**विषय :**संजय कुमार खेदड़, तहसीलदार (कार्यवाहक), कार्यालय तहसीलदार-पावटा, जिला-कोटपूतली-बहरोड़, राज. के द्वारा राज्य सरकार के आदेश की अवमानना के विषय में कार्रवाई हेतु |)दस्ती दिया गया था | जिसकी जांच सतर्कता कार्यालय हाजा द्वारा की गयी है की संपूर्ण पत्रावली मय जाँच रिपोर्ट सहित की साफ साफ प्रमाणित प्रतिलिपि।

2. यह कि वांछित लोक दस्तावेज की प्रतिलिपि शुल्क का <u>आंसिक तत्काल शुल्क</u> का भुगतान 100/= रुपैया का (**आवेदन शुल्क रु 10/= रुपए तथा ₹40/= रुपए प्रतिलिपि + पोस्टल शुल्क के कुल राशि ₹100/= जरिए ई - ग्रास चालान GRN: 0099120343 Payment Date: 07/01/2025 12:40:06)** आवेदन के साथ प्रेषित है। एवम्

3. इसके अतिरिक्त जितना भी दस्तावेजात/ रिकार्ड / पोस्टल शुल्क होगा आपके द्वारा मुझे उचित मध्यम (जरिए ईमेल / व्हाट्सएप) से सूचित करने पर मेरे द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा ?

4. माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर " बउनवानी संजीव यादव बनाम सहायक निदेशक एवं अनुभाग अधिकारी, प्रारंभिक जांच विभाग, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर - राजस्थान " उपभोक्ता परिवाद संख्या 123/2022 निर्णय दिनांक 18 जनवरी, 2022 जिसमें माननीय आयोग द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां-कहां लागू है, आवेदन शुल्क, सामान्य श्रेणी शुल्क 05/- व् **तत्काल श्रेणी शुल्क 10/- तथा प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम एवं सिविल रूल के तहत सामान्य आवेदन पर 7 दिन के भीतर तथा अर्जेंट आवश्यक प्रकृति के आवेदन में 24 घंटे के भीतर प्रतिलिपि दिए जाने का नियम है।** अधिक जानकारी के लिए उक्त उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग का आदेश का अवलोकन करें।

प्रार्थी / आवेदक

राव धनवीर सिंह नंबरदार पुत्र राव देशराज सिंह
गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी,
जिला- गुरुग्राम हरियाणा -123 502
हाल ::- मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम,
हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)- 303 108
email - dsraolambardar@gmail.com , मोबाइल / WhatsApp नंबर – 7015494018

नोट ::-

१. यह आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम में से किसी भी प्रकार सरोकार नहीं रखता है। लिहाजा उक्त अधिनियम का कोई प्रावधान संरक्षण इस आवेदन के बाबत लागू नहीं होता है। और उक्त सूचना धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत लोक दस्तावेज की परिभाषा में आते है लिहाजा एक लोक सेवक होने के नाते आवेदक/ प्रार्थी को युक्तियुक्त समय (24 घंटे) अनुसार उपलब्ध करवाया जाना आपके लिए बाध्यकारी है।

२. **स्मरण रहे की धारा 2(11) बीएनएस-2023 की रोशनी में समयेक सावधानी एवं सतर्कता के साथ इस आवेदन का देश के मौजूदा विधान के मुताविक निर्णय किया जाना आपके लिए आवश्यक है।**

राव धनवीर सिंह नंबरदार